

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था /2016

रायपुर,दिनांक

/2016

// कार्यालय आदेश //

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ विधान सभा की चतुर्थ विधान सभा के दशम सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अतः दिनांक 20.10.2016 से दिनांक 21.11.2016 तक की अवधि तक के अवकाश स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। साथ ही इस अवधि के पूर्व में स्वीकृत समस्त अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

समस्त प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो स्वीकृत अवकाश पर हैं उन्हें तत्काल कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु अनिवार्यतः सूचित करें।

आदेश से,



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 2812 /वि.स./स्था /2016

रायपुर, दिनांक 20/10/2016

प्रतिलिपि:-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. मान. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
04. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सहायक को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. सर्वर कक्ष।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा